न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 104/2025 (2025/482)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अशोक पुत्र मोहनराम 2. लुणकी पत्नी मोहनराम दोनों जातियान जाट निवासीगण ग्राम नारनाड़ी तहसील झंवर जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री अजुर्न बोराणा।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सेः– अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा।

दिनांक :– 15-4-26

– : : निर्णय : : –

1. प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य पिता–पुत्र का रिश्ता है। अप्रार्थी संख्या दो भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रार्थी की माता लूणकी पत्नी मोहनराम का विवाह हिन्दु रिती रिवाज के अनुसार दिनांक 07.09.2006 को समाज एवं परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने सम्पन्न हुआ एवं उक्त विवाह होने के पश्चात दिनांक 24.05.2007 को प्रार्थी अशोक का जन्म हुआ एवं वर्ष 2024 के माह जनवरी में प्रार्थी की माता एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य आपसी मतभेद होने के चलते प्रार्थी अपनी माता के साथ अप्रार्थी संख्या एक से अलग रहवास कर रहे है। प्रार्थी व उसकी माता अपने पीहर यानि प्रार्थी के ननिहाल में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है, हालही मे प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अपनी पत्नी प्रार्थी संख्या दो के जीवित रहते किसी अन्य लक्ष्मीदेवी नामक महिला के साथ गैर कानूनी रूप से विवाह कर लिया है एवं लक्ष्मीदेवी नामक महिला एवं अप्रार्थी संख्या एक के साथ उसके घर में निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी संख्या दो अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य महिला से विवाह करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कब्जाशुदा एवं उपयोग–उपभोग की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 326 में रकबा 2.8247 हैक्टयर यानि 17 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 529/2 में रकबा 0.3885 यानि 02 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 654 में रकबा 5.4390 हैक्टयर यानि 33 बीघा 06 बिस्वा। इस प्रकार तीनों खसरान की कृषि भूमि रकबा 8.6522 हैक्टयर यानि 52 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या एक व उसके भाईयों के अलग–अलग हक हिस्से अनुसार मकानात, मुख्य सडक पर दुकानात व शेष खुली जमीन पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार कृषि कार्य किया जाता है। उक्त जायदाद में प्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी संख्या एक का 1/4 हक व हिस्सा संयुक्त रूप से निहित है।एवं 1/4 हक हिस्से के अनुसार उनके हक हिस्से में कुल रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि आती है। जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थी संख्या एक का है। अप्रार्थी संख्या एक के 1/4 हक हिस्से की रिकॉर्ड में इन्द्राज कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या एक का कानूनन 1/8 वा हक हिस्सा निहित है यानि रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार उपरोक्त जायदाद पुश्तेनी जायदाद होने से उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या एक का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में तहत प्रार्थी संख्या एक का जन्म से हक हिस्सा निहित हुआ, जो हक हिस्सा प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकार है। ऐसी स्थित में प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

संख्या एक के द्वारा दिनांक 20.08.2025 को उक्त वादग्रस्त जायदाद के संबंध में एक आमसूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई तत्श्चात इस संबंध में प्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को एक कानूनी नोटिस जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.08.2025 को प्रेषित किया गया जो कानूनी अप्रार्थी संख्या एक को दिनांक 20.08.2025 को प्राप्त हो गया उक्त नोटिस का प्रतिउत्तर/जवाब आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दिया गया। उपरोक्त भूमियों में प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बांधा उत्पन्न दखल अंदाजी, बैचान हस्तान्तरण, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा ने जवाब/प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी संख्या दो एवं अप्रार्थी संख्या एक सामाजिक रीति रिवाज से सन् 2006 में विवाह हुआ था जिस दामपत्य वैवाहिक जीवन से प्रार्थी संख्या एक का सन् 2007 में जन्म हुआ। प्रार्थी संख्या दो विवाह से पूर्व से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ ही थी जिसकी जानकारी विवाह से पूर्व अप्रार्थी संख्या एक को नहीं थी। जब प्रार्थी संख्या दो अप्रार्थी के साथ जीवन यापन शुरू किया गया तो प्रार्थीनी संख्या दो की मानसिंक स्थिति अस्वस्थ होने की वजह से प्रार्थी संख्या दो एवं अप्रार्थी का वैवाहिक जीवन चल ही नहीं पाया, प्रार्थीनी संख्या दो अधिकतम अपने पीहर मे ही रही, ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी संख्या दो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से सन् 2009 में ही प्रार्थीनी संख्या दो एवं अप्रार्थी संख्या एक का सामाजिक स्तर पर विवाह विच्छेद हो गया एवं प्रार्थी संख्या एक वादी संख्या दो के साथ ही शुरू से ही रहा एवं वर्तमान में भी प्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थी संख्या दो साथ ही रहते है। विवाह विच्छेद के समय अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीगण के लिये सामाजिक पंचो के कहे अनुसार तमाम प्रकार से उनके जीवन यापन हेतु भरण पोषण स्वरूप एकमुश्त राशि भी उन्हे अदा कर दी गयी थी। इस प्रकार से प्रार्थीगण के अप्रार्थी संख्या एक से तमाम प्रकार से रिश्ते सन् 2009 में ही वहीं समाप्त हो गये। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने वैवाहिक जीवन की नयी शुरूवात करते हुए सन् 2009 मे ही लक्ष्मी से पुनः विवाह किया गया जिस वैवाहिक जीवन से अप्रार्थी संख्या एक के कुल तीन संताने हुई हैं जो कि कमशः पुत्री चिन्टू उम्र 16 वर्ष, पुत्री नेया 14 वर्ष, एवं पुत्र विकास चौधरी उम्र 11 वर्ष है। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या एक अपने इसी परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है एंव इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति, महिला इत्यादि का अप्रार्थी संख्या एक के परिवार के सदस्यों के रूप मे किसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान नही है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का कोई रिश्ता अप्रार्थी संख्या एक के साथ नहीं हे एवं न ही प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक के कानूनन वारिसान की सूची में आते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र विशेष कथन/प्राथमिक आपत्तियों के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। तथा पदवार जवाब में बताया कि प्रार्थी संख्या एक एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रहा है प्रार्थी संख्या दो एवं अप्रार्थी संख्या एक का विवाह सन 2006 में अवश्य ही किया गया था एवं उनके वैवाहिक जीवन से प्रार्थी संख्या एक का सन 2007 में जन्म अवश्य ही हुआ था लेकिन प्रार्थी संख्या दो एवं अप्रार्थी संख्या एक का सन 2009 में ही सामाजिक स्तर पर विवाह विच्छेद हो गया था। क्योंकि प्रार्थी संख्या दो बिल्कुल ही मानसिंक रूप से अस्वस्थ एवं उसके स्वंय के शरीर की भी कोई शुधि बुधि नहीं थी, इन दो वर्षो के वैवाहिक जीवन में भी प्रार्थी संख्या 2 अधिकतम अपने पीहर में ही रही थी। प्रार्थीगण का यह कहना सरासर गलत है कि सन 2024 में प्रार्थी संख्या दो एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य मतभेद हुआ हो बल्कि विवाह विच्छेद सन 200. के बाद न तो अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी संख्या दो से कभी मिला है एवं न ही प्रार्थी संख्या दो कभी अप्रार्थी संख्या एक से मिली है। क्यों कि लक्ष्मी से पुनः सामाजिक रिती रिवाज से विवाह किया गया एवं उक्त वैवाहिक जीवन से अप्रार्थी संख्या एक के कुल तीन संताने हुई जो कि कमशः पुत्री चिन्टू उम्र 16 वर्ष,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

पुत्री नेया 14 वर्ष, एवं पुत्र विकास चौधरी उम्र 11 वर्ष है। प्रार्थीगण वर्तमान में कहां पर रहते है उसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक को नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना सरासर गलत है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा गैर कानूनी रूप से दूसरा विवाह किया है जो कि प्रार्थी संख्या दो से विवाह विच्छेद होने के पश्चात किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इस पद में जो वंशावली दर्शायी गयी है जो कि गलत है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरान की कृषि भूमियों का वर्णन किया गया है उसमें प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा कब्जा दखल अधिकार कानूनन न तो बनता है एवं न ही प्रार्थीगण प्राप्त करने के कोई अधिकार रखते है। इस पद में वर्णित खंसरान की कृषि भूमियां जो कि अप्रार्थी संख्या एक के नाम से खातेदारी में दर्ज है उसके एकमात्र हकदार, एवं हिस्सेदार अप्रार्थी संख्या एक स्वयं एवं उसकी कानूनन पत्नि लक्ष्मी एवं उनकी तीन संताने क्रमशः पुत्री चिन्टू उम्र 16 वर्ष, पुत्री नेया 14 वर्ष, एवं पुत्र विकास चौधरी उम्र 11 वर्ष का ही है प्रार्थीगण ने कोई नोटिस न तो अप्रार्थी संख्या एक को दिया गया एवं न ही देने के कोई अधिकार प्रार्थीगण को है। आमसूचना की कोई जानकारी अप्रार्थी संख्या एक को नही है। प्रार्थीगण का कोई रिश्ता अप्रार्थी संख्या एक के साथ नहीं है एवं न ही प्रार्थी संख्या एक के नाना धर्माराम से कोई रिश्तेदारी अप्रार्थी संख्या एक की है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त जायदाद बाबत किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा प्राप्त करने के कोई अधिकार प्रार्थीगण के पास नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या एक अपने हक, हिस्से, कब्जाकाश्त, खातेदारी की कृषि भूमियों का हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने के कानूनी अधिकार रखते है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी कानूनन नही की जा सकती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की बहस सूनी गई। अतः उपरोक्त आधार पर विवेचन के बाद अप्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग की सहखातेदारी कृषि भूमि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा संख्या 326 रकबा 2.8247 हैक्टेयर, खसरा संख्या 529/2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 654 रकबा 5.4390 हैक्टेयर कुल रकबा 8.6522 हैक्टेयर भूमि आई हुई। अप्रार्थी संख्या एक रेकर्डड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या एक का विवाह प्रार्थी संख्या 2 के साथ हिन्दु सामाजिक रीति रिवाज द्वारा सन् 2006 में हुआ था। इस वैवाहिक जीवन में सन् 2007 में प्रार्थी संख्या 1 का जन्म हुआ। जोकि दोनों पक्षो को स्वीकार्य तथ्य है। अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी संख्या 2 की मानसिक स्थिति अवस्थ होने की वजह से प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का वैवाहिक जीवन चल ही नही पाया प्रार्थी संख्या 2 अधिकतम अपने पीहर में ही रही ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 का सामाजिक स्तर पर विवाह विच्छेद हो गया। विवाह विच्छेद के समय अप्रार्थी संख्या एक उनके जीवन यापन हेतु भरण पोषण स्वरूप एक मुश्त राशि भी प्रार्थी संख्या 2 को अदा की गई थी। इस तरह से अप्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थी संख्या 2 के तमाम प्रकार के रिश्ते सन् 2009 में ही समाप्त होना बताया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लक्ष्मी से विवाह होना बताया तथा इस वैवाहिक जीवन से अप्रार्थी संख्या एक के कुल तीन संतान हुई। यह भी कथन किया कि छोड़ामेला मानसिंक बीमार होने से किया गया। मोहनराम जीवित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथन अनुसार वाद में वर्णित भूमियों में हिस्सा बनता है अथवा नहीं यह वाद में निर्धारित होगा। ऐसी स्थिति में वाद में वर्णित भूमियों के क्षेत्रफल में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ण क्षति का प्रार्थीगण के पक्ष में साबित करने में प्रार्थीगण असफल रहे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी